न्यायालय विशेष न्यायाधीश सतर्कता अधिष्ठान/चतुर्थ अपर जिला जज देहरादून।

दाण्डिक प्रकीर्ण सख्या : 229सन् 2024

विकेश सिंह नेगी, एडवोकेट, आयु 40 वर्ष, चेंबर नं0 1ए सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड, निकट शहीद स्मारक, देहरादून। निवास पता– 350 वीर चन्द्र सिंह गढवाली मार्ग धर्मपुर देहरादून।

................प्रार्थी

बनाम

श्री गणेश जोशी पुत्र स्व0 श्याम दत्त जोशी निवासी– 105ए नेशविला रोड देहरादून।

........विपक्षी

अन्तर्गत धारा –13 (1)बी, 13 (2) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम
थाना– सतर्कता अधिष्ठान, देहरादून।

दिनांकः 11.03.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री गिरीश चन्द्र शर्मा को प्रार्थनापत्र 3क अंतर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रकिया संहिता पर पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज संख्या 3क
अंतर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रकिया संहिता,1973

प्रार्थी विकेश नेगी के द्वारा प्रार्थना पत्र कागज संख्या 3क दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 156(3) के अंतर्गत विपक्षी गणेश जोशी के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 में यह कथन किये गये हैं कि गणेश जोशी पुत्र स्व0 श्याम दत्त जोशी निवासी 105ए नेशविला रोड देहरादून जो कि वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में मंत्री पद पर आसीन है, श्री गणेश जोशी ने पंजीकृत विक्रयपत्रों के द्वारा सन 2011 में 15,60,730/–रू0, सन 2012 में 44, 61,590/–रू0, सन 2015 में 13,11,350/–रू0, सन 2016 में 30,33,980/–रू0, सन 2017 में 3,40,460/–रू0, सन 2018 में 36,74,480/–रू0, सन 2019 में 51,94,720/–रू0, सन 2020 में 73,10,800/–रू0, सन 2021 में 63,72,120/–रू0, सन 2022 में 1,46,48,520/–रू0 की सम्पत्तियां स्वयं, अपनी पत्नी, पुत्र व पुत्री के नाम से क्रय की है जबकि पुत्र तथा पुत्री पूर्णतः

श्री गणेश जोशी पर तत्समय आश्रित थे। इस प्रकार श्री गणेश जोशी ने उपरोक्त अवधि में कुल 5,08,89,510/–रू0 की अचल सम्पत्तियां अर्जित की है, जो कि ज्ञात स्रोतों से बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त 21.10.2011 को 3 व्यक्तियों ने अरूण गुप्ता, गणेश जोशी, व श्रीमती चेतना पंत ने मु0 34,40,000/–रू0 की सम्पत्ति विक्रय की जिसमें श्री गणेश जोशी का 1/3 हिस्सा है, श्री गणेश जोशी की पत्नी श्रीमती निर्मला जोशी ने मु0 6,000/–रू0 के पटटे अपनी भूमि दी जिसमें श्रीमती निर्मला जोशी का 1/4 भाग था। दिनांक 25.07.2017 को श्रीमती निर्मला जोशी व अन्य तीन लोगो ने एक सम्पत्ति बेची जिसका विक्रय मूल्य मु0 1,71,57,000/–रू0 था जिसमें श्रीमती निर्मला जोशी का 1/4 वा भाग था, दिनांक 25.07.2017 को श्रीमती निर्मला जोशी ने 33,68,000/–रू0 की सम्पत्ति बेची जिसमें 1/4 भाग की हिस्सेदारी थी। दिनांक 08.05.2019 को मयंक जोशी पुत्र गणेश जोशी ने अपनी पत्नी श्रीमती पंखुडी शर्मा को उपहार स्वरूप दी थी जो कि 6,15,000/–रू0 की सम्पत्ति दर्शाई गयी है। श्रीमती निर्मला जोशी पत्नी श्री गणेशी जोशी ने 10.02.2021 को एक मनीष गोस्वामी को 21,38,400/–रू0 मूल्य की सम्पत्ति विक्रय की, श्री गणेश जोशी ने दिनांक 02.05.2022 को एक सम्पत्ति जिसका बाजारी मूल्या 8,34,000/–रू0 था अपने पुत्र मयंक जोशी को दान स्वरूप प्रदान की है। दिनांक 10.06.2022 को एक श्याम देई से श्री गणेश जोशी के पुत्र मयंक जोशी ने अन्य चार भागीदारो के साथ खनन पटटे के लिए भूमि जिसका 20 वर्ष का किराया मु0 99,19,691/–रू0 दिखाया गया है। दिनांक 27.02.2022 को मयंक जोशी पुत्र गणेश जोशी ने अपनी माता के नाम पटटे पर भूमि दी जिसका किराया 1200/–रू0 दिखाया गया है। दिनांक 03.12. 2022 को सौरव नांगिया जो कि श्री गणेश जोशी का दामाद है , ने भूमि जिसका बाजारी मूल्य 2,76,00,000/–रू0 मूल्य की अपनी पत्नी नेहा जोशी के नाम पर दान दी है और दिनांक 31.01.2023 को नेहा जोशी पत्नी सौरव नांगिया पुत्री गणेश जोशी ने उपरोक्त भूमि अपने भाई मयंक जोशी को दान कर दी है, इस प्रकार इन्होंने धनशोधन का अपराध किया है। दिनांक 21.01. 2023 को मयंक जोशी पुत्र गणेश जोशी ने एक राजीव कुमार को मु0 25,00,000/–रू0 में एक भूमि विक्रय दिखाई। दिनांक 16.02.2023 को श्रीमती निर्मला जोशी ने मु0 23,00,000/–रू0 में राजीव कुमार विक्रय दर्शाया है।

दिनांक 09.06.2021 को सिडकुल से मयंक जोशी पुत्र श्री गणेश जोशी व धीरेन्द्र सिंह पंवार जो कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का ओएसडी थे, ने मिलकर 45,95,0000 / -रू0 की भूमि पटटे पर ली है। श्री गणेश जोशी ने वर्ष 2007 के चुनाव में स्वयं व स्वयं की पत्नी के नाम पर मु0 42,00,000 / -रू0 की सम्पत्ति घोषित की थी तथा बैंक में अपने नाम पर 6,83,318 / -रू0 व अपनी पत्नी के नाम 68,000 / -रू0 जमा होना दर्शाया है। कुल धनराशि जो दर्शाई गयी है वह मु0 7,41,000 / -रू0 दर्शाई गयी है। वर्ष 2012 के विधानसभा के चुनाव में श्री गणेश जोशी के द्वारा वर्ष 2009-2010 में 5,25,835 / -रू0 व 2010-11 में 3,90,692 / -रू0 आयकर रिटर्न में दिखाया गया है व आश्रितों को शून्य दर्शाया गया है। वर्ष 2012 विधान सभा चुनाव में श्री गणेश जोशी ने बैंको में जमा धनराशि स्वयं के नाम 9,50,140 / -रू0 व पत्नी के नाम पर 4,72,431 / -रू0 दर्शाई है। सन 2012 में ही श्री गणेश जोशी ने एफडीआर व एनएससी आदि में 10,86,438 / -रू0 व पत्नी के नाम 37,8328 / -रू0 दर्शाये गये है। सन 2012 में ही श्री गणेश जोशी ने कार लोन एसबीआई बैंक द्वारा 50,000 / -रू0 व पत्नी के नाम पर 30,000 / -रू0 दर्शाये है। सन 2012 में आवास हेतु ऋण पत्नी के नाम 96,1910 / -रू0 व मोटर कार लोन 13,107 / -रू0 तथा स्वयं पर कर्ज 19,769 / -रू0 व पुत्री के नाम पर शिक्षाऋण 20,00,000 / -रू0 अर्थात कुल ऋण की धनराशि मु0 29,93,948 / -रू0 दर्शाये गये है। गणेश जोशी ने विधानसभा चुनाव वर्ष 2012, 2017,व 2022 में जो चुनाव में खर्च घोषित किया था वह इस प्रकार है-

अ- वर्ष 2012 में कुल 96,55,09 / -रू0 जिसमें 5,00,000 / -रू0 पार्टी फण्ड से दर्शाये गये है जिसमें स्वयं का कुल खर्च 4,65,509 / -रू0है।

ब- वर्ष 2017 में 24,02,600 / -रू0

स- वर्ष 2022 में 29,99,222 / -रू0

श्री गणेश जोशी ने वर्ष 2017 में स्वयं के बैंक खातो में कुल 28,40,458 / -रू0 व पत्नी के नाम पर 38,55,511 / -रू0 और सन 2022 में श्री गणेश जोशी के खातो में मु0 1,30,63,199 / -रू0 और पत्नी निर्मला जोशी के खाते में 96,99,917 / -रू0 दर्शाये है जो स्वयं गणेश जोशी ने चुनाव से पूर्व घोषणा की है। श्री गणेश जोशी ने एलआईसी बीमा की वार्षिक प्रीमियम 1,37,064 / -रू0

व पत्नी के नाम पर एचडीएफसी बीमा का प्रीमियम धनराशि 1,29,731/—रू0 दर्शाई है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2007 में श्री गणेश जोशी की माहवार तनख्वाह 3,000/—रू0 प्रतिमाह थी तथा वर्ष 2008 माह जनवरी फरवरी एवं मार्च में क्रमशः 3000/—रू0 थी और जो कि अप्रैल 2008 से 5,000/—रू0 प्रतिमाह हो गयी जो कि दिसम्बर 2013 तक चली माह जनवरी 2014 से 10,000/—रू0 हो गयी जो कि मार्च 2017 तक, अप्रैल 2017 से 30,000/—रू0 प्रतिमाह जो माह 2022 तक चली और अप्रैल 2022 से 90,000/—रू0 प्रतिमाह हो गयी। गणेश जोशी को मार्च 2007 से मार्च 2023 तक कुल 36,54,000/—रू0 वेतन के रूप में प्राप्त हुए। इस प्रकार श्री गणेश जोशी ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए एमएलए व मंत्री रहते हुए ज्ञात आय के स्रोत से कही अधिक सम्पत्ति एकत्रित की है। इसके अतिरिक्त श्री गणेश जोशी ने कई वाहन भी इस दौरान क्रय किये है जिसकी कीमत लाखो में है अवैध ढंग से सम्पत्ति अर्जित कर अवैध रूप से धनशोधन किया है। विजिलेंस पुलिस में रिपोर्ट करने के पश्चात यह तथ्य संज्ञान में आया कि सौरव नांगिया जो कि श्री गणेश जोशी का दामाद है , ने दिनांक 18.12.2018 को मौजा जाखन स्थित भूमि मै0 आर.एम.इन्फ्रहोम प्राईवेट लिमि0 से क्रय की जिसका पंजीकरण सब रजिस्ट्रार कार्यालय में बही 1 जिल्द 2497 पृष्ठ 325 से 354 के दस्तावेज संख्या 9318 को मु0 2,90,00,000/—रू0 में क्रय की थी उक्त भूमि को श्री सौरव नांगिया ने बाजारी मूल्य मु0 2,76,00,000/—रू0 दर्शाकर अपनी पत्नी नेहा जोशी को दान में दे दी और नेहा जोशी पुत्री गणेश जोशी पत्नी सौरव नांगिया ने उपरोक्त भूमि अपने भाई श्री मयंक जोशी को दान कर दी। इस प्रकार षडयन्त्र कर धनशोधन का अपराध किया है। अभियुक्त का अपराध संज्ञेय अपराध है। वादी ने दिनांक 05.03.2024 को थानाध्यक्ष/ पुलिस अधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान कारगी चौक देहरादून को रिपोर्ट प्राप्त करायी तथा कार्यवाही ना होने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक देहरादून को दिनांक 09.03.2024 को रिपोर्ट प्रेषित की जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तदानुसार अभियुक्त के विरूद्व सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने हेतु थानाध्यक्ष/पुलिस अधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान कारगी चौक देहरादून को आदेशित करने की याचना की गयी है।

3. प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों के समर्थन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

मु0 सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा अपर सचिव कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–5 उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित पत्र की छायाप्रति कागज संख्या 5ख, पुलिस अधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान कारगी चौक देहरादून को प्रेषित शिकायतपत्र की प्रति कागज संख्या 15ख/1 लगायत 15ख/4, थानाध्यक्ष/पुलिस अधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान कारगी चौक देहरादून को प्रेषित शिकायतपत्र की प्रति कागज संख्या 16ख/1 लगायत 16ख/4, शपथ पत्र कागज संख्या 18बी/1 लगायत 18बी/2, दाखिल किये गए हैं।

4. प्रार्थी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्याय निर्णय दाखिल किये गये है:–

1. फौजदारी अपील संख्या 300–303/2017 कर्नाटक राज्य बनाम सेल्वी जे. जया ललिता, माननीय सर्वोच्च न्यायालय।
2. ललिता कुमारी बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य, 2013 (14) एससीआर 713
3. फौजदारी याचिका संख्या 101/2024,इन्द्रजीत बोरा बनाम आसाम राज्य, निर्णय दिनांक 18.03.2024
4. डबलू.ए. नं0. 903/2021 धंधापानी बनाम दि विजीलेंस कमिश्नर व अन्य, निर्णय दिनांक 30.04.2021,माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ।
5. फौजदारी अपील संख्या 5001/2024 कर्नाटक राज्य बनाम टी.एन. सुधाकर रेडडी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ।

5. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री जी.सी. शर्मा को प्रार्थना पत्र पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. प्रार्थी द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र के कथनों का सार यह है कि विपक्षी गणेश जोशी द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित कर, षडयन्त्र कर धनशोधन का अपराध किया है। विपक्षी का अपराध संज्ञेय अपराध है। प्रार्थी ने दिनांक 05.03.2024 को थानाध्यक्ष/ पुलिस अधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान कारगी चौक देहरादून को रिपोर्ट प्राप्त करायी तथा कार्यवाही ना होने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक देहरादून को दिनांक 09.03.2024 को रिपोर्ट प्रेषित की जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तदानुसार अभियुक्त के विरूद्व सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने हेतु थानाध्यक्ष/पुलिस अधीक्षक

सतर्कता अधिष्ठान कारगी चौक देहरादून को आदेशित करने की याचना की गयी है।

7. प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से दर्शित होता है कि शिकायतकर्ता/प्रार्थी के द्वारा सतर्कता सेक्टर देहरादून में विपक्षी के विरूद्व इस आशय की शिकायत दी गई कि विपक्षी द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित की गई है जिस कारण उनके विरूद्व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया जाये।

8. सतर्कता अनुभाग द्वारा प्रार्थी के प्रार्थनापत्र दिनांक 01.04.2024 पर कार्यवाही करने से पूर्व शासन को इस आशय का पत्र प्रेषित किया गया कि प्रार्थी द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र की जांच के संबंध में नियमानुसार अनुमति प्रदान करें।

9. प्रार्थी द्वारा दिये गये शिकायत प्रार्थनापत्र के संबंध में अनुमति संबंधी सतर्कता अनुभाग के पत्र के शासन में लम्बित रहने के दौरान ही शिकायतकर्ता द्वारा इस न्यायालय में धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया कि सतर्कता अनुभाग से विपक्षी के विरूद्व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के अपराध में विपक्षी के विरूद्व अभियोग पंजीकृत करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

10. न्यायालय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) सीआरपीसी में शासन से प्रार्थी के शिकायती प्रार्थनापत्र पर रिपोर्ट तलब की गयी। दिनांक 08.07.2024 को न्यायालय के आदेश दिनांकित 02.09.2024 के अनुपालन में शासन ने सतर्कता अनुभाग देहरादून के पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांकित 12.03.2024 जिसके द्वारा सतर्कता अनुभाग देहरादून द्वारा शासन से प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर नियमानुसार अनुमति के संबंध में निर्देश चाहे गये थे।

11. शासन द्वारा इस न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02.09.2024 के क्रम में प्रस्तुत रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी को शिकायत के साथ शपथपत्र दाखिल करने हेतु सूचना प्रेषित की गयी। पुनः दिनांक 19 सितम्बर 2024 को प्रार्थी को पुनः अनुस्मारक द्वारा शपथपत्र

दाखिल करने के संबंध में सूचना प्रेषित की गयी जिस पर प्रार्थी द्वारा शपथपत्र के संबंध में यह सूचना दी गयी कि उपरोक्त के आधार पर शासन द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर कार्यवाही निक्षेपित की गयी है।

12. शासन द्वारा प्रार्थी के शपथपत्र नही प्रस्तुत किये जाने के कारण अनुमति नही प्रदान किये जाने के प्रश्चात प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकित 01.04.2024 अन्तर्गत धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता जो कि बिना शपथपत्र के प्रस्तुत किया गया है, में शासन की कार्यवाही निक्षेपित होने के पश्चात दिनांक 18.11.2024 को धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रार्थनापत्र में प्रार्थी द्वारा शपथपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

13. पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा सतर्कता सेक्टर देहरादून को दिये गये प्रार्थनापत्र दिनांकित 09.03.2024 के पश्चात इस न्यायालय में दिये गये प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के साथ कोई शपथपत्र नही प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय द्वारा सतर्कता अनुभाग से रिपोर्ट मांगने के समय भी प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के साथ शपथपत्र नही प्रस्तुत किया गया एवं पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अनुमति सम्बन्धी प्रक्रिया के समय भी शपथपत्र सतर्कता अनुभाग को प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण शासन द्वारा कार्यवाही को निक्षेपित किया गया है।

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 राज्य** में प्रतिपादित न्याय निर्णय में यह निर्णीत किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के साथ शपथपत्र दाखिल किया जाना है और प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के साथ शपथपत्र नही दाखिल किये जाने की परिस्थिति मे धारा 156(3) के प्रार्थनापत्र पर विचार नहीं किया जा सकता है।

15. प्रार्थी द्वारा जब न्यायालय में 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रार्थनापत्र दिनांक 01.04.2024 को प्रस्तुत किया गया तब वह मय शपथपत्र नहीं था

जो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत वाद **प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 राज्य** के अनुसार प्रार्थनापत्र पोषणीय नही था। न्यायालय द्वारा सतर्कता अनुभाग देहरादून से मांगी गयी रिपोर्ट में भी यह सूचित किया गया है कि सतर्कता अनुभाग देहरादून के द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अनुमति की प्रक्रिया के क्रम में प्रार्थी से शपथपत्र मांगा गया था जो कि प्रार्थी ने उपलब्ध नही कराया जिस कारण सतर्कता अनुभाग देहरादून द्वारा प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर कार्यवाही को निक्षेपित कर दिया गया है।

16. प्रार्थी द्वारा न तो शपथपत्र सतर्कता अनुभाग को दिये प्रार्थनापत्र के साथ सलंग्न किया गया न ही सतर्कता अनुभाग द्वारा अनुमति सम्बन्धी प्रक्रिया के समय अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त इस न्यायालय के समक्ष 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दिये प्रार्थनापत्र के साथ भी कानूनी रूप से आवश्यक शपथपत्र प्रस्तुत नही किया गया। प्रार्थी द्वारा सतर्कता अनुभाग द्वारा अनुमति के संबंध में जांच के समय और धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रार्थनापत्र के साथ आवश्यक कार्यवाही के समय अपना शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

17. प्रार्थी द्वारा अनुमति संबंधी प्रक्रिया के समय सतर्कता अनुभाग को शपथपत्र प्रस्तुत नही किया गया एवं प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के साथ भी शपथपत्र प्रस्तुत नही किया गया। सतर्कता अनुभाग द्वारा दिनांक 16.08.2024 को प्रस्तुत रिपोर्ट जिसमें शपथपत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनुमति नही दिये जाने के पश्चात प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.11.2024 को शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा शपथपत्र तब न्यायालय में दाखिल किया गया जब शासन से कार्यवाही निक्षेपित हो गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत वाद **प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 राज्य 19 मार्च 2015** में यह निर्णीत किया गया है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के साथ शपथपत्र न दिये जाने के पश्चात शपथपत्र न दिये जाने की स्थिति में प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं है।

18. 1ख उत्तर प्रदेश सरकार सतर्कता अनुभाग–2 संख्या 1602/उन्तालीस

2—217—04 लखनऊ, दिनांक 29 अगस्त, 1977 ई0 अधिसूचना जो उत्तराखण्ड राज्य में भी लागू है, में प्रतिपादित किया गया है कि—

"किसी अराजपत्रित अधिकारी के विरूद्व स्वतन्त्र रूप से जांच या अनुसंधान करने के लिए सतर्कता अधिष्ठान सरकार से पूर्वादेश प्राप्त करेगा।"

19. **<u>अनिल कुमार बनाम एन.के. अनप्पा 2013,</u>** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व जांच मंजूरी के संबंध में यह प्रतिपादित किया गया है कि पी.सी. एक्ट की धारा 19 आरम्भ मे ही लागू होती है और जांच के लिए सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आवेदन सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त किये बिना स्वीकार नही किया जा सकता।

<u>ललिता कुमार बनाम राज्य एआईआर 2014 एससी 187</u> में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यदि सूचना से किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो संहिता की धारा 154 के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है, परन्तु न्यायालय द्वारा यह भी अवधारित किया है कि कुछ श्रेठी जैसे वैवाहिक/पारिवारिक विवाद, वाणिज्यिक अपराध चिकित्सा लापरवाही के मामले, भ्रष्टाचार के मामले इत्यादि में प्रारम्भिक जांच की आवश्यकता हो सकती है।

<u>प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 राज्य 19 मार्च 2015</u> में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आवेदन को आवेदक के एक हल्फनामें द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए जो मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र का आवह्न करना चाहता है।

20. प्रस्तुत मामले में प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) दं0प्र0सं0 दिनांकित 01.04.2024 को प्रस्तुत किया गया था, के साथ प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 राज्य के अनुपालन में शपथपत्र प्रस्तुत नही किया गया है। न्यायालय द्वारा शासन से संबंधी आख्या दिनांकित 02.09.2024 को मांगने पर शासन द्वारा न्यायालय को यह अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा अपने शासन में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के साथ शपथपत्र नही दिया गया है और बार—बार मांगने पर भी प्रार्थी द्वारा शपथपत्र न दिये जाने की स्थिति में कार्यवाही निक्षेपित की गयी है। प्रार्थी द्वारा शासन से कार्यवाही निक्षेपित होने के उपरांत दिनांक 08.11.2024 को शपथपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया

है। प्रस्तुत प्रकरण में शासन द्वारा कार्यवाही को निक्षेपित कर दिया गया है। इस संबंध में सतर्कता अनुभाग के नियम 1977 प्रचलन में है, जो कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है। 1ख उत्तर प्रदेश सरकार सतर्कता अनुभाग–2 संख्या 1602/उन्तालीस 2–217–04 लखनऊ, दिनांक 29 अगस्त, 1977 ई0 अधिसूचना जो उत्तराखण्ड राज्य में भी लागू है, में प्रतिपादित किया गया है कि–

"किसी अराजपत्रित अधिकारी के विरूद्व स्वतन्त्र रूप से जांच या अनुसंधान करने के लिए सतर्कता अधिष्ठान सरकार से पूर्वादेश प्राप्त करेगा।"

इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न न्याय–निर्णयों में यह अवधारित किया है कि किसी भी लोक सेवक के विरूद्व जांच व अनुसंधान या एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारम्भिक जांच आवश्यक है। इस प्रकार यह दर्शित हो रहा है कि उपरोक्त न्याय निर्णयों एवं अधिसूचना में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रियात्मक आवश्यकता का पालन करना इस स्तर पर प्रार्थी द्वारा पूर्ण नही किया गया है।

21. अतः प्रस्तुत मामले के तथ्यों, एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के मार्गदर्शक न्याय निर्णयों एवं अधिसूचना दिनांक 29 अगस्त, 1977 ई0 अधिसूचना जो उत्तराखण्ड राज्य में भी लागू है, के आलोक में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांकित 01.04.2024 निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी विकेश सिंह नेगी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर कर दी जाय।

(अंजली बेंजवाल)
विशेष न्यायाधीश, सतर्कता अधिष्ठान/
चतुर्थ अपर जिला जज
देहरादून